

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक-एफ 19-03/2019/पी-1/31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../...../2020

मुख्य अभियंता,(बोधी)
जल संसाधन विभाग
भोपाल ।

विषय :-“न मांग न जांच” प्रमाण पत्र जारी करने बावत- श्री अशोक कुमार परसाई, से.नि.
वरिष्ठ भू-जल जल विद् ।
सदर्भ : - आपका पत्र क.-603/स्था-1/मु.अ.बोधी/2019 दिनांक 01.01.2020 एवं विभाग के
संमसंख्यक .पत्र दि. 23.10.2020.

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों के माध्यम से श्री अशोक कुमार परसाई, वरिष्ठ
भू-जल जल विद् जो कि दिनांक 12.01.2009 से अनिवार्य सेवानिवृत्त हुये है, के संबंध में
पदस्थापना विवरण की प्रति आपके द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई है, किन्तु उक्त
पदस्थापना विवरण में सरल क्रमांक 2 एवं 6 के न मांग न जांच के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं
कराये गये है। जिसके संबंध में स्मरण कराया गया था, किन्तु जानकारी आज दिनांक तक
अप्राप्त है ।

अतः उक्त बांछित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि संबंधित के
पक्ष में आगामी कार्यवाही की जा सकें।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल

भोपाल, दिनांक 20/11/2020

पू.क्रमांक -एफ 19-03/2019/पी-1/31

प्रतिलिपि:-

वेब मैनेजर, प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर विभाग की वेबसाइट पर
प्रविष्टि हेतु।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

जल संसाधन विभाग भोपाल